न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 469 सन 2026
CNR No. UPSP 010010172026

अनीस पुत्र नाजिम, निवासी मौहल्ला कुरैशियान, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 262/2018
धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम
धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना गंगोह, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अनीस** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2018 को उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा दौरान चैकिंग व गस्त मुखबिर द्वारा दी गयी गौकशी की सूचना के आधार मौहल्ला कुरेशियान में बिशवा कुरैशी व उसके साथी रहमान, अनीस, वसीद व सोनू को पकडे का प्रयास किया गया तो उपरोक्त व्यक्ति मौके से फरार हो गए। मौके पर 150 किलोग्राम गौमांश, एक जिन्दा सांड व गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। मौके से बरामद गोमांस एवं गौकशी के उपकरण को सील सर्वे मोहर कर फर्द तैयार की गयी तथा उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 262/2018 अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में थाना गंगोह, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्त के विरूद्ध उपरिवर्णित धारा में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी दौरान विवेचना थाने से जमानत पर है, उसके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली एवं सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक गोवंश को क्रूरतापूर्वक बांध कर गौकशी करने तथा घटनास्थल से 150 किलोग्राम गौमांश, एक जिन्दा सांड व गौकशी के उपकरण बरामद होने का आक्षेप है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को धारा 41(क) दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार

किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी कोई भी आदेशिका उसे प्राप्त नही हुई है, जबकि अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र एवं प्रसंज्ञान आदेश सम्बंधी आदेश पत्र की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.12.2025 को नकल सवाल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त की नकल प्राप्त किया जाना दर्शित है। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना प्राप्त जमानत का दुरूपयोग करते हुए, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किए जाने की जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर विचारण न्यायालय के समक्ष न होकर मामले के विचारण को विलम्बित किया गया है तथा मामले में उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट निर्गत किए जाने के उपरान्त अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किए आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनीस** की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 12.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891